ई फाइल संख्या 78610

फा. सं. 20/1/87-हिंदी

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

****

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

दिनांक: 27.04.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए लागू प्रोत्साहन योजनाएं।

परिषद के महानिदेशक महोदय सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिषद मुख्यालय में तीन प्रोत्साहन योजनाएं, वर्ष 2026-2027 (दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) के लिए लागू करते हैं:-

2. **परिषद मुख्यालय की योजना:** इस योजना में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को एक वर्ष में (दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) कम से कम **30 हज़ार शब्द** हिंदी में लिखने होंगे। इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे:-

प्रथम पुरस्कार (दो) = प्रत्येक 5000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (तीन) = प्रत्येक 4000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (पांच) = प्रत्येक 3000/- रुपये

3. **भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित प्रोत्साहन योजना:** यह योजना भी वर्ष 2026-27 के लिए लागू की जा रही है। इस योजना में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को एक वर्ष में (दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) कम से कम **20 हज़ार शब्द** हिंदी में लिखने होंगे। इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे:-

प्रथम पुरस्कार (दो) = प्रत्येक 5000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (तीन) = प्रत्येक 3000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (पांच) = प्रत्येक 2000/- रुपये

4. **परिषद की तकनीकी योजना:** उक्त दोनों प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा, परिषद के वैज्ञानिक प्रभागों के कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना भी वर्ष 2026-2027 के लिए लागू की गई है। इसके अंतर्गत परिषद के वैज्ञानिक प्रभागों में कार्यरत कर्मचारियों को एक वर्ष में (दिनांक 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) कम से कम 5 **हज़ार शब्द** हिंदी में लिखने होंगे, इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे:-

15 पुरस्कार = प्रत्येक 2000/- रुपये

यदि उक्त योजना के अंतर्गत तकनीकी प्रभागों से कार्य की जांच करवाने वाले या इस योजना की शर्तों के अधीन काम करने वाले कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इस योजना के पुरस्कार अन्य प्रभागों/अनुभागों के कर्मचारियों को दे दिए जाएंगे।

क्रः पृ० प०...

5. **<u>हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का पुरस्कार:</u>** उक्त तीनों प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा, परिषद मुख्यालय में हिंदी में **डिक्टेशन देने वाले अधिकारी** के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना भी वर्ष 2026-2027 के लिए लागू की गई है। हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारी के पुरस्कार हेतु ऐसे अधिकारी जिनके अधीन आशुलिपिक उपलब्ध हैं या जो सामान्यतः डिक्टेशन देते हैं, इस योजना में भाग ले सकते हैं। इच्छुक अधिकारीगण कृपया अपने हिंदी पत्रों का ब्यौरा रखें, ताकि वे संबंधित योजना में भाग ले सकें।

पुरस्कार राशि = प्रत्येक 5000/- रुपये

अतः इन प्रतियोगिताओं में परिषद मुख्यालय के सभी स्थाई अधिकारी/कर्मचारी (हिंदी संबंधी पदों को छोड़कर) भाग ले सकते हैं, और इसमें टिप्पण प्रारूपण के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिसका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में प्रविष्टियां, सूची तैयार करना, लेखा का काम, कंप्यूटर पर हिंदी में काम आदि शामिल किए जाएंगे। वर्ष की समाप्ति पर प्रतिभागी अपने किए गए हिंदी कार्य का विवरण अपने उच्चाधिकारी/प्रशासन अधिकारी के माध्यम से हिंदी अनुभाग को भेजेंगे। कार्य का मूल्यांकन इस निमत गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

यह कार्यालय ज्ञापन ई फा. सं. 78610 पर सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमोदन से जारी किया जाता है।

वंदना

(डॉ. वंदना शर्मा)
उप निदेशक (रा.भा.)

वितरण:-

1. महानिदेशक कार्यालय।
2. अपर महानिदेशक- कार्यालय (दोनों)।
3. वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) कार्यालय।
4. वरि. वित्त सलाहकार कार्यालय।
5. उपमहानिदेशक (प्रशा.)।
6. सहा. महानिदेशक (प्रशा.) (दोनों)।
7. सहा. महानिदेशक (वित्त)।
8. सभी वरि. प्रशा./लेखा अधिकारी/प्रशा. अधिकारी/लेखा अधिकारी।
9. सभी प्रभाग प्रमुख एवं समस्त प्रभाग/अनुभाग।
10. सूचना पट्ट।
11. बीआईसी-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. निदेशक (रा. भा.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-सूचनार्थ।